Date : 17 मार्च 2023

भारतीय राजनीति में महिलाओं को आरक्षण

संदर्भ- हाल ही में 10 मार्च को भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के. कविता ने लम्बे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर में 6 घण्टे की भूख हड़ताल की। इस शांतिपूर्ण हड़ताल का आगाज कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने किया।

भारतीय महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का इतिहास

- मध्यकाल से भारत के इतिहास में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति गर्त में चली गई थी, महिलाओं को गर्त से समान धारा में लाने के लिए राजनीति में आरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई।
- आधुनिक भारत में पहली बार 1931 में सरोजनी नायडू व बेगम शाह नवाज ने संयुक्त रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भारतीय महिलाओं के राजनीति में समान अधिकार की आवश्यकता पर पत्र लिखा, जो भारतीय महिलाओं की राजनीति में भाग लेने का प्रथम कदम था।
- इस समय महिला आरक्षण का मुद्दा संसद सभा में भी उठाया गया किंतु उस समय यह माना गया कि लोकतंत्र में सभी के लिए समान अधिकार है। 1947 में स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। उनके अनुसार सत्ता में आए पुरुष प्रधान स्वतंत्र समाज का अर्थ महिलाओं की स्वतंत्रता नहीं है।
- 1971 में महिलाओं हेतु कमिटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट में महिलाओं के लगातार घटते प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी।
- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना(1988-2000) ने महिलाओं के लिए एक शीर्ष निकाय के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया।
- 30 अगस्त 1990 को राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए प्रस्तावित विधेयक पारित कर दिया गया।
- 1992 में श्रीमति जयंती पटनायक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया।

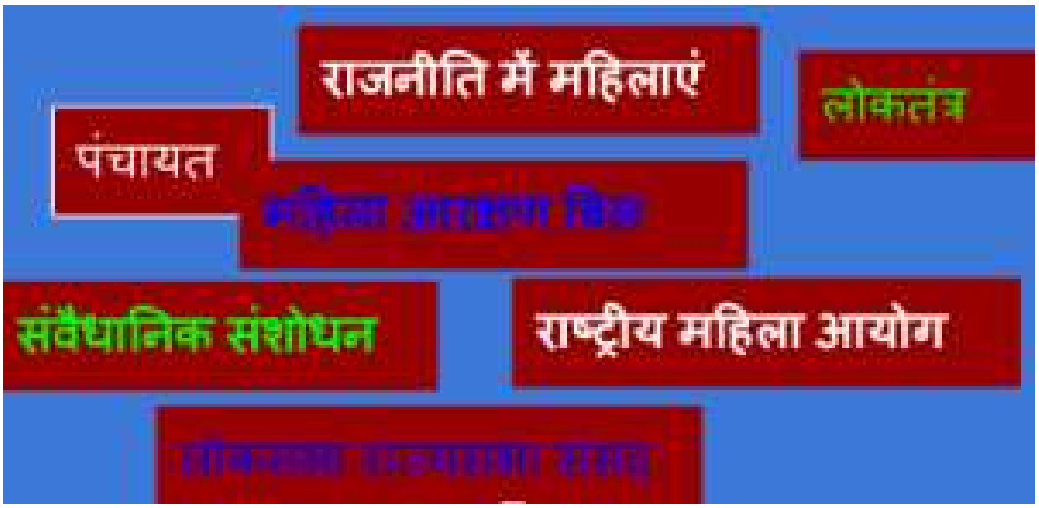

संविधान का 73 वां संशोधन में आरक्षण

- 24 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का 73 वां संशोधन स्वीकृत कर लिया गया। तब से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवास के रूप में मनाया जाता है।
- सभी पंचायती संस्थानों में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
- सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई।

संविधान का 74 वां संशोधन में आरक्षण

- यह संशोधन अनुसूचित जाति व जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान करता है।
- महिलाओं के लिए नगरपालिका में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई।
- राज्य विधानमण्डल अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं के आरक्षण के लिए विधान का निर्माण कर सकता है।

महिला आरक्षण विधेयक 2008

- विधेयक का उद्देश्य महिलाओं के लिए लोकसभा व राज्य विधान सभा में एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीट,आरक्षित समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में आबंटित किया जा सकता है।
- संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्षों के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा।

लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए लाए गए बिल के समर्थन व विरोध में कई तथ्य सामने आए हैं जिससे यह बिल अब तक पास न हो सका है।

विधेयक का पक्ष

- स्वतंत्रता के समय भी महिलाएं संसद के लिए कार्य कर रही थी, जो महिलाओं की योग्यता पर उठे प्रश्नों को खारि करता है।
- पंचायतों में महिला आरक्षण के कारण महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में आए सकारात्मक सुधार व सशक्तिकरण से इस विधेयक को बल मिला है।
- पंचायती राज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में महिलाओं ने कई ऐसे मुद्दों पर कार्य किया है जिन्हें जरुरी नहीं समझा जाता था। जैसे शराबबंदी, जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निवेश, भ्रष्टचार में कमी, संतुलित आहार को प्राथमिकता, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रयास आदि।
- महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान मुद्दे जैसे महिलाओं से संबंधित बढ़ते अपराध, महिलाओं की कार्यस्थलों में न्यूनतम भागीदारी, महिलाओं में न्यूट्रिशियन की कमी आदि मुद्दों में सुधार के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुधारने की आवश्यकता है।
- इससे भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है।
- वर्तमान में केवल 14% महिलाओं की संसद में भागीदारी है।

विधेयक के विपक्षी तर्क

- महिलाओं को योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धी न मानने की परंपरा को बढ़ावा दे सकता है।
- इस प्रकार की नीतियाँ लोकतंत्र की प्रकृति को धूमिल कर सकती हैं।
- महिलाएं एक जाति समूह के विपरीत हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक समरूप समुदाय नहीं हैं। इसलिए, महिलाओं के जाति आधारित आरक्षण के लिए जो तर्क दिए गए हैं, वे नहीं दिए जा सकते।
- महिलाओं के हितों को अन्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों से अलग नहीं किया जा सकता है।
- संसद में सीटों का आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं की पसंद को सीमित कर देगा। इसने राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए आरक्षण और दोहरी सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों (जहां निर्वाचन क्षेत्रों में दो सांसद होंगे, उनमें से एक महिला होगी) सहित वैकल्पिक तरीकों के सुझाव दिए हैं।
- पुरुष प्राथमिक शक्ति के साथ-साथ राजनीति में प्रमुख पदों पर आसीन हैं, कुछ ने यह तर्क भी दिया है कि महिलाओं को राजनीति में लाने से "आदर्श परिवार" नष्ट हो सकता है।

आगे की राह

- विधेयक में महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण को 15 वर्ष तक दिए जाने के प्रावधान को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए, वरना इस विधेयक का परिणाम भारतीय भाषा के साथ अंग्रेजी की स्थिति की तरह हो सकता है

- महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए महिलाओं को सामाजिक तौर पर मुक्त व सशक्त करने की आवश्यकता है।

स्रोत

http://ncw.nic.in/commission/about-us/brief-history
https://epaper.thehindu.com/reader

Gunjan Joshi

सनातन धर्म और संसद भवन

संदर्भ- नई दिल्ली में नए संसद भवन का वास्तुकला व शिल्प आकर्षण का विषय बना हुआ है। इण्डियन एक्सप्रैस के अनुसार इसका उद्घाटन जल्द होने की संभावना है। नवनिर्मित संसद भावन को पुराने संसद भवन के पास ही निर्मित किया गया है। इसके निर्माण में 5000 वर्ष पुरानी भारत की प्राचीन सनातन परंपरा व कला को शामिल किया गया है। लगभग 65000 मीटर के स्थान पर पेंटिग, सजावटी कला, दीवार पैनल, पत्थर की मूर्तियाँ व धातु की वस्तुओं से संसद भवन को अलंकृत किया गया है। इन कलाकृतियों को सनातन परंपरा के शुभ चिह्नों जैसे – कमल, पीपल, गज, अश्व, गरुड़ आदि चिह्नों को शामिल किया गया है।

प्रवेश द्वार – इसके प्रवेश द्वारों की कलाकृति आकर्षण का मुख्य केंद्र है, संसद भवन में 6 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक द्वार में शुभता के प्रतीक पशुओं की मूर्ति को स्थापित किया गया है।

- **उत्तरी द्वार-** सनातन परंपरा में उत्तर दिशा को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, अतः ज्ञान, धन व बुद्धि के प्रतीक हाथी की मूर्ति को उत्तरी प्रवेश द्वार में सुसज्जित किया गया है।
- **दक्षिणी द्वार-** दक्षिणी द्वार घोड़े से सुसज्जित है जिसे सनातन परंपरा में धीरज, शक्ति व गति का प्रतीक माना जाता है।
- **पूर्वी द्वार-** पूर्व दिशा उगते सूरज को दर्शाती है, और उगता सूरज, विजय व आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस द्वार में गरुड़ को दर्शाया गया है।
- **उत्तर पूर्वी द्वार-** उत्तर पूर्वी द्वार में हंसों की मूर्ति को सजाया गया है, जो विवेक व ज्ञान का प्रतीक हैं।
- **शेष द्वारों** में जलजीव मकर को दर्शाया गया है, जिसे पौराणिक रूप से विभिन्न जीवों का प्रतिनिधित्वकर्ता माना जाता है। इसके साथ इस द्वार में शारदुल को दर्शाया गया है जिसे सभी जीवों में शक्तिशाली माना जाता है। इस प्रकार यह भारत देश में निहित, विविधता में एकता व शक्ति को प्रदर्शित करता है।

सनातन परंपरा –

- सनातन धर्म जिसे ऐतिहासिक रूप से वैदिक धर्म व वर्तमान में हिंदू धर्म कहा जाता है। किंतु हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन , बौद्ध, सिक्ख भी स्वयं को सनातन का अंश मानते हैं।
- सनातन शब्द का अर्थ होता है- शास्वत या सदा बने रहने वाला।
- आश्वलायन धर्मसूत्र के अनुसार 'धारणात् श्रेय आदधाति इति धर्मः' अर्थात- जिसको धारण करने से मनुष्य कल्याण, यश और उन्नति प्राप्त करता है, वही धर्म है।
- वैदिक धर्म, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ। सनातन धर्म की भूमि में रामायण व महाभारत की रचना हुई।
- सिंधु घाटी सभ्यता से सनातन धर्म या हिंदू धर्म के कई प्रमाण मिले हैं जिसकी अवधि 3000-4000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। यहाँ से मातृदेवी की मूर्ति, पीपल पूजा, लिंग पूजा दीप प्रज्वलन आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह अवशेषों के प्रतीकों का प्रयोग रामायण व महाभारतकाल के समाज में भी होता था। अतः यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है।
- विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के बाद भी सनातन धर्म, शास्वत एक सत्य को मानता है।
- आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद व दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने सनातन धर्म की व्याख्या सर्वधर्म सम्भाव के रूप में की और धर्म में व्याप्त कुरीतियों का खण्डन किया।
- महात्मा गांधी के अनुसार सनातन धर्म केवल हिंदू धर्म नहीं बल्कि सर्वव्यापी, सर्वकालिक और सबको धारण करने वाला है और राजनीति ऐसे धर्म की सदैव दासी होती है।

सेंट्रल विंस्टा पुनर्विकास योजना-

सेंट्रल विस्टा- 1911 में जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था, दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी दिल्ली की आधारशिला रखी। आधारशिला के स्थान को कुछ समय बाद रायसीना पहाड़ी में स्थानांतरित कर दिया। राजपथ के आसपास के भवनों को ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड लुटियन व सर एडवर्ड बेकर के निर्देशन में बनाया गया।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना- भारत सरकार द्वारा, रायसीना पहाड़ी से इण्डिया गेट तक के प्रशासनिक क्षेत्र जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, को परिवर्तित व विकसित करने की एक योजना है। परियोजना की लागत लगभग 20000 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके तहत-

- संसद भवन का निर्माण
- केंद्रीय सचिवालय निर्माण
- राजपथ में परिवर्तन, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है।
- नॉर्थ ब्लॉक व साउथ ब्लॉक में संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है।

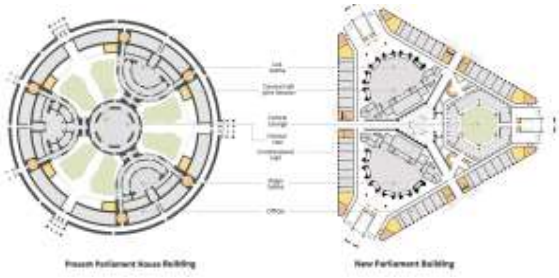

नए संसद भवन की आवश्यकता-

- संसद भवन का निर्माण पूर्व में ब्रिटिश हुकुमत के अनुसार किया गया था, अतः भारतीय संविधान के द्विसदनीय व्यवस्था इसके निर्माण की एक आवश्यकता है।
- वर्तमान संसद में सदन की कुल सदस्य संख्या 545 है और संयुक्त सदन के समय स्थान की कमी है जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। भविष्य में सदन की सदस्य संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, अतः भविष्य को देखते हुए 888 सदस्यों के लिए स्थान का निर्माण किया गया है।
- पर्यावरण के प्रति संवेदनशील- यह अग्नि, वर्षा के प्रति संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त भवन को भूकंपरोधी भी नहीं बनाया गया है। अतः पर्यावरणीय आपदा के समय बचाव की दृष्टि से एक आपदारोधी संसद भवन की आवश्यकता है।
- सुरक्षा की दृष्टि से भवन का निर्माण नहीं किया गया है। 2001 में संसद पर हमला इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।
- संसद के निर्माण को भारतीय सनातन धर्म परंपरा के अनुसार बनाया जा रहा है जो भारतीय इतिहास को समृद्ध व संरक्षित करेगी।

चिंताएं-

- अत्यधिक लागत के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
- इण्डियन एक्सप्रेस के अनुसार योजना में सनातन धर्म के चिह्नों का प्रयोग किया जा रहा है, इन चिह्नों को गलत तरीके से प्रचारित करने से अनुचित संदेश प्रसारित हो सकता है। अतः धर्म की उचित व्याख्या की जानी आवश्यक है, जिससे समस्त भारत में सर्वधर्म सम्भाव की भावना प्रेरित हो।

स्रोत

indianexpress.com
www.google.co.in/books
https://centralvista.gov.in/new-parliament-building.php#gallery-1

Gunjan Joshi